

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 24.03.2021

15 पेटी (कुल 675 शीशी / 200 मिली) अपमिश्रित देसी शराब, 50 लीटर मिथाइल एल्कोहल केमिकल बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सचिन्द्र पटेल के कुशल निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.03.2021 को थाना अन्तू के उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र/चेकिंग में छतरपुर शिवाला के पास मासूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली की 03 दिन पहले संग्रामपुर जनपद अमेठी पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र अन्तू का शराब माफिया राजू सिंह अपमिश्रित शराब के साथ पकड़ा गया था, उसके साथी किठावर के राजू सिंह व अन्य लोग मिलकर चुनाव व होली के लिए भारी मात्रा में मिलावटी देसी शराब कहीं एकत्र किये हैं। इस सूचना पर उक्त पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र अन्तू के बाबू का पुरवा ईंट भट्ठा के पास से अभियुक्त भीमसेन सिंह उर्फ राजू सिंह पुत्र शेष नारायण सिंह नि0 पूरबगांव किठावर बाजार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 02 अन्य साथी मौके से भाग निकले। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर 15 पेटी अपमिश्रित देसी शराब, 50 लीटर मिथाइल एल्कोहल केमिकल, प्लास्टिक की खाली बोतलें, गैलन, ड्रम आदि बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 272 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01. भीमसेन सिंह उर्फ राजू सिंह पुत्र शेष नारायण सिंह नि0 पूरबगांव किठावर बाजार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

वांछित/फरार अभियुक्त का विवरण—

01. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह नि0 समोगर धरौली थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
02. धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र राम आसरे नि0 नन्दलाल का पुरवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01. 15 पेटी अवैध देसी शराब (कुल 675 शीशी / 200 मिली)।
02. 50 लीटर मिथाइल एल्कोहल केमिकल।
03. 100 अदद प्लास्टिक की खाली शीशी।
04. 03 अदद छोटे खाली गैलेन।
05. 02 अदद खाली ड्रम।
06. 02 अदद नमूना मोहर।

पूछताछ का विवरण—

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त भीमसेन सिंह उर्फ राजू सिंह उपरोक्त ने बताया कि जो मौके से भाग गये वह मेरे साथी धर्मेन्द्र सिंह व धर्मेन्द्र वर्मा थे। मैं, धर्मेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र वर्मा, अरविन्द वर्मा पुत्र राम सुमेर वर्मा नि0 टोटे का पुरवा, मजरे कोहरा थाना कोतवाली जनपद अमेठी, नागेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा नि0 पचखरा थाना सांगीपुर जनपद

प्रतापगढ़, रमेश कुमार अग्रहरि पुत्र रामगोपाल अग्रहरि निः ० महमदपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी, राजेश कुमार अग्रहरि पुत्र रामगोपाल अग्रहरि निः ० महमदपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी, सुभम अग्रहरि पुत्र दिनेश अग्रहरि निः ० चर्तुभुजपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी के साथ मिलकर मिलावटी शराब बनाकर आसपास के जनपदों के नजदीकी शराब के ठेकों में फुटकर बिक्री कराते हैं। पिछले वर्ष नवम्बर के महीने में चर्तुभुज से हम लोगों को माल अमेठी पुलिस ने पकड़ लिया था जिसमें हमारे साथी राजेश कुमार अग्रहरि, रमेश कुमार अग्रहरि, सुभम अग्रहरि, अर्जुन वर्मा तथा नागेन्द्र कुमार वर्मा मौके पर माल के साथ पकड़े गये थे। मैं, धर्मेन्द्र सिंह व धर्मेन्द्र वर्मा मौके से भाग लिये थे। इसी मुकदमें में मैंने कोर्ट में आत्मसर्मपण किया था और इस समय जमानत पर हूं। जेल से छूटने के बाद मैंने पुनः केमिकल से मिलावटी शराब बनाने का कार्य रानू सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निः ० दादूपुर दौलतपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, धर्मेन्द्र सिंह व धर्मेन्द्र वर्मा के साथ मिलकर शुरू किया था। कुछ दिन पहले रानू सिंह शराब लेकर अमेठी की तरफ अपनी बोलेरो से जा रहा था कि अमेठी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। रानू सिंह के पकड़े जाने पर हम लोग घबरा गये कि कहीं रानू सिंह हम लोगों का नाम न बता दे। आज हम लोग बची हुई मिलावटी शराब व केमिकल को नष्ट करने के उद्देश्य से यहां इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे थे कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

भीमसेन सिंह उर्फ राजू सिंह पुत्र स्व० शेषनरायण सिंह निः ० पूरबगांव थाना अन्तू प्रतापगढ़ का आपराधिका इतिहास

- मु०अ०स० १५४ / ९९ धारा ३२३, ५०४, ५०६ भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०सं० १८ / २००० धारा ६० आबकारी अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० २१ / ०२ धारा ३५३, ५०४, ५०६ भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० २२ / ०२ धारा २ / ३ गुण्डा अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स २८ / ०२ धारा २ / ३ यू०पी० गैगेस्टर एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० ५६ / ०२ धारा ३०७, ३२३, ५०४ भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० ७६ / ०४ धारा ६० आबकारी अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० ३०८ / १४ धारा ६० / ६३ आबकारी अधिः० व २७२, २७३, ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ भादवि व ०७ सीएलए एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० ३०९ / १४ धारा ६० / ६३ आबकारी अधिः० व २७२, २७३, ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ भादवि, ०७ सीएलए एक्ट व १०३ / १०४ व्यापार चिन्ह अधिः० थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० २१ / ०९ धारा २ / ३ यू०पी० गैगेस्टर एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० १९२ / १७ धारा ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४७२, २७३ भादवि, ६० / ६३ आबकारी अधिः० व ०७ सीएलए एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०स० १९६ / ०८ धारा ११०जी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०सं० ३७७ / ०८ धारा १४७, १४८, १४९, ३०७ भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०सं० ३७८ / ०८ धारा ६० / ६३ आबकारी अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०सं० १९१ / ०९ धारा २ / ३ गुण्डा अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०सं० ७३ / १८ धारा १७४ भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- मु०अ०सं० ४०६ / २० धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, २५७, २५८, २७२, ३०७ भा०द०वि० ,६० / ७२ आबकारी अधिनियम, ६३ कॉपीराइट अधिनियम व १०४ ट्रेड मार्क अधिः० थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी

पुलिस टीम—

- उ०निः० रोहित कुमार, उ०निः० रमेश कुमार, उ०निः० योगेन्द्र सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव, आरक्षी प्रदीप कुमार पाल, आरक्षी विशाल कुमार व आरक्षी अमित कुमार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

01 अदद ट्रक व 21 राशि गोवंश सहित 01 शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सचिन्द्र पटेल के कुशल निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधिक्षक पूर्वी श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 घनश्याम सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग/देखभाल क्षेत्र के दौरान कल दिनांक 23.03.21 को थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के एटीएल ग्राउण्ड के सामने हाइवे से 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर एक अदद ट्रक नं0 यूपी 61 टी 5129 जिसमे कुल 21 राशि गोवंशीय पशु क्रूरतापूर्वक लादे गये थे, को बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा इन गौवंशीय पशुओं को वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा था। इस सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 265/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रुरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01. योगेश कुमार यादव पुत्र दीपराज यादव नि0 देवपुर मड़ई, नन्दगांज जनपद गाजीपुर।

बरामदगी—

01. 01 अदद ट्रक नं0 यूपी 61 टी 5129।
02. 21 राशि गोवंश।

पुलिस टीम—

उ0नि0 घनश्याम सिंह, आरक्षी मनीष कुमार, आरक्षी विजय बघेल, आरक्षी विजय चौहान व आरक्षी नरेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।